समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नही । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नही होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिवर्सिटी
फेक्स : 0731-529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2022 / 47

दिनांक 20 SEP 2022

/ / अधिसूचना / /

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के अंतर्गत संचालित चिकित्सा / सह–चिकित्सा महाविद्यालयों के बैक–बेच के विद्यार्थियों की परीक्षाओं के संचालन हेतु महाविद्यालयों से सम्बद्धता / नवीनीकरण शुल्क लेने / निर्धारण करने हेतु विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 07 / 07 / 2022 के द्वारा गठित समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 26 / 07 / 2022 को किया गया। बैठक में महाविद्यालयों से सम्बद्धता / नवीनीकरण शुल्क लेने / निर्धारण करने के लिए समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय / अनुशंसा की गई:–

> ''चिकित्सा / सह–चिकित्सा महाविद्यालयों से बैक–बेच के विद्यार्थियों की परीक्षा संचालन कार्य को सम्पादित करने हेतु नवीनीकरण शुल्क, प्रत्येक महाविद्यालय से प्रति छात्र प्रति वर्ष परीक्षा शुल्क के बराबर(समानान्तर) निर्धारित किया जा सकता है। अतः नवीनीकरण शुल्क महाविद्यालय द्वारा प्रति छात्र के अनुसार विश्वविद्यालय में परीक्षा के पूर्व जमा किया जावेगा। यदि यह राशि वर्तमान नवीनीकरण शुल्क से अधिक आती है तो वर्तमान नवीनीकरण की राशि पूर्वानुसार विश्वविद्यालय में जमा करनी होगी। नवीनीकरण शुल्क की राशि सत्र 2021–22 से जमा करना होगी।''

समिति की उक्त अनुशंसा को विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 25 / 08 / 2022 तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 / 09 / 2022 में अनुमोदित किया गया है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृष्ठांकन शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2022 /

दिनांक : 20 SEP 2022

प्रतिलिपि :–

1. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अशासकीय चिकित्सा / सह–चिकित्सा महाविद्यालय, जिला–इन्दौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, बडवानी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. परीक्षा नियंत्रक, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. उप–कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय विभाग, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर सर्वसंबंधितों के सूचनार्थ अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. कुलपतिजी के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. रिकॉर्ड नस्ती।

उपकुलसचिव(शैक्ष.)